न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–12 / 2020 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. प्रेमदेवी देवी पत्नी स्व0 नंदलाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. दुर्गाशंकर पिता भैरूलाल जी ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लादूलाल पिता मोतीलाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)

– विपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री भैरू लाल बाफना
2. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री जगदीश दाधीच

निर्णय दिनांक 25/3/26

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल बाफना द्वारा दिनांक 19.08.2020 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 12 / 2020 पर दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

पक्षकारान् का सजरा निम्नानुसार हैः–

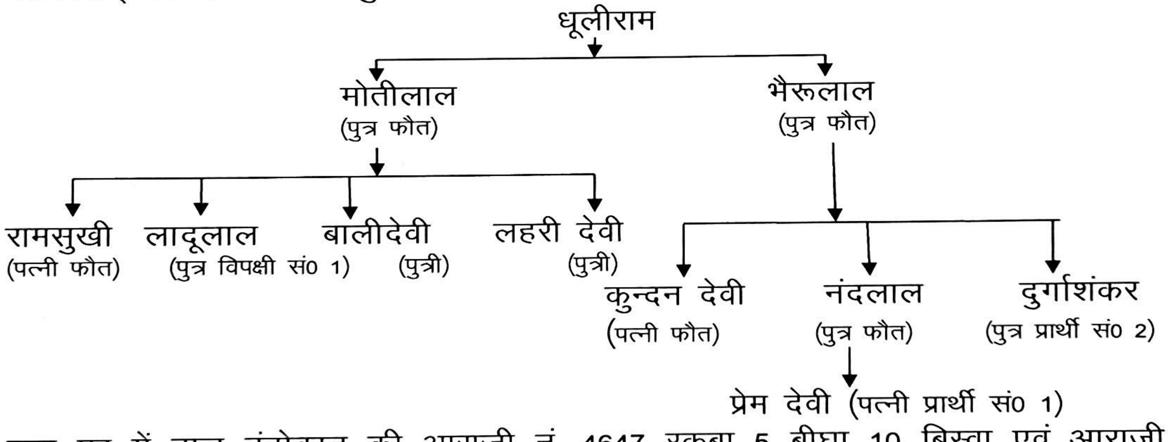

ग्राम पुर में हाल बंदोबस्त की आराजी नं. 4647 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नं. 9547 / 4648 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें 1 / 2 हिस्सा मोतीलाल जी पिता धूलीराम जी ब्राह्मण के नाम पर दर्ज था, जिनका देहान्त होने पर विरासत से विपक्षी सं. 1 लादूलाल जी का नाम दर्ज हुआ है। शेष 1 / 2 हिस्सा संयुक्त रूप से बंशीलाल रमेशचंद्र पिता गोपीलाल, नारायण पिता जगदीशचंद्र लेखा पुत्री जगदीशचंद्र, शांतादेवी पत्नी स्व. जगदीशचंद्र दुर्गाशंकर पिता सगतमल श्रीमती नर्मदा पत्नी कन्हैयालाल, भैरूलाल शांता माता कमला आनंद कुमार, अश्विनी कुमार पिता विठ्ठल, लाड, मधु, मीना, रेखा पुत्रियां विठ्ठल, सोहनदेवी पत्नी विठ्ठल ब्राह्मण निवासी पुर के नाम पर दर्ज है, जिनसे कोई विवाद नहीं है। जिससे इनका हिस्सा बदस्तूर कायम रहेगा, इसी कारण से इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त मोतीलाल जी पिता धुलीराम जी ब्राह्मण का हिस्सा जो कि विरासत से विपक्षी सं. 1 लादूलाल के नाम पर दर्ज हो गया है, उसी के संबंध में विवाद होने से इनके विरूद्ध ही यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

सहायक कलक्टर
भीलवाडा

S.No | Manual | Institution | Next

उक्त सजरे में वर्णित धूलीराम जी के दो पुत्र मोतीलाल जी व भैरूलाल जी उत्पन्न हुए, किन्तु मोतीलाल जी बड़े होने से उक्त वर्णित भूमि के आधे हिस्से में केवल मोतीलाल जी का नाम ही दर्ज हो गया व छोटे भाई भैरूलाल जी का नाम इस भूमि में दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि उस समय की तत्कालीन परम्परा के अनुसार पिता की मृत्यु होने के बाद बड़े पुत्र का नाम ही दर्ज कर दिया जाता था। इसी कारण से उक्त भूमि में हमारे पिता व ससुर जी श्री भैरूलाल जी का नाम दर्ज नहीं हो सका, किन्तु मोतीलाल जी वाले 1/2 हिस्से की भूमि में आधे हिस्से पर भैरूलाल जी के जीवनकाल में उनका व उसके देहान्त के बाद हम प्रार्थीगण का कब्जा आज पर्यन्त निरंतर चला आ रहा है जिसको हमारा सारा समाज व सभी ग्रामवासी पुर जानते हैं।

करीब 80 वर्षों से अधिक समय तक उक्त अनुसार हम प्रार्थीगण का व हमारे पूर्वज भैरूलाल जी का शांतिपूर्वक कब्जा इस वादग्रस्त भूमि में चला आ रहा है, किन्तु कुछ वर्षों पूर्व इस भूमि के आस पास फोरलेन सड़क का निर्माण हो जाने से इस भूमि की कीमतें बढ़ जाने से विपक्षी सं. 1 के मन में लालच आ गया है और अब वह हमारे हिस्से को चुनौती देने लग गया है और हमको कुल भूमि में हमारे 1/4 हिस्से के कब्जे से बेदखल करने की धमकी देने लग गया है। मोतीलाल जी के जीवनकाल में मोतीलाल जी व उनकी पत्नी स्व. रामसुखी देवी हम प्रार्थीगण का हिस्सा इस भूमि में दर्ज कराना चाहते थे, किन्तु अस्वस्थता की वजह से वे अपने जीवनकाल में ऐसा नहीं कर सके, किन्तु ये विपक्षी लादूलाल व उसके पुत्रों को बराबर हिदायत देते रहे कि उक्त भूमि में अपना जो 1/2 हिस्सा दर्ज है, उसके आधे हिस्से में कब्जे अनुसार मेरे छोटे भाई भैरूलाल व उसके देहान्त के बाद प्रार्थीगण का हिस्सा व कब्जा निरंतर चला आ रहा है सो धर्म को आदर देते हुए उनका इस भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज करवा देना व तुम्हारे भी 1/4 हिस्सा रहेगा। मोतीलाल जी व रामसुखी देवी के जीवनकाल में तो विपक्षी सं. 1 लादूलाल जी व उनकी पत्नी श्रीमती सुशीलादेवी हमें आश्वासन देते रहे कि हम इस भूमि में उक्त हिस्सेनुसार आपका नाम खाते में दर्ज करा देंगे इस बाबत् गत वर्ष सन् 2019 में उन्होंने 500/– पांच सौ रूपये के स्टाम्प पर एक लिखापढ़ी इकरारनामा हमारे पक्ष में निष्पादित किया था जिसके अनुसार मोतीलाल जी के 1/2 हिस्से की भूमि में आधा हिस्सा हम प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज कराने का वादा लादूलाल जी ने किया था। इस इकरारनामे में गवाह के तौर पर साक्षी श्री राजेश अठारिया व श्री राकेश सिंघवी ने अपने हस्ताक्षर किये थे। इन दोनों के पास ही लिखापढी का यह इकरारनामा रखा हुआ था किन्तु लादूलाल जी के पुत्रों ने लादूलाल जी से विवाद किया कि आपने इस तरह की लिखापढ़ी क्यों की है तो लादूलाल जी ने साक्षीगण राजेश अठारिया व राकेश सिंघवी से 500/– पांच सौ रूपये के स्टाम्प पर हुई उक्त लिखापढ़ी का स्टाम्प वापस ले लिया व उसे फाड़ दिया। इस प्रकार लादूलाल जी व उनके परिवार वालों की नीयत में फर्क आ गया है। जिससे अब वे हम प्रार्थीगण का नाम उक्त भूमि में दर्ज कराने के लिये सहमत नहीं हो रहे हैं और ऐसा न कर वे धर्म व ईमानदारी के खिलाफ काम कर रहे हैं और अपने बड़ों की शिक्षा व हिदायत की कि अपने हिस्से में से आधे हिस्से की भूमि भैरूलाल जी के नाम पर दर्ज करवा देना इस बात की विपक्षी द्वारा अवहेलना की जा रही है इस कारण से यह वादपत्र प्रस्तुत करने की नौबत आयी है।

स्व. धूलीराम जी के दोनों पुत्र मोतीलाल जी व भैरूलाल जी शामिल शरीक ही रहते थे और उन्होंने दोनों के संयुक्त परिवार की आय से ही उक्त भूमि बनायी थी, लेकिन तत्कालीन प्रचलित परम्परा के अनुसार उक्त 1/2 हिस्से की भूमि में केवल मोतीलाल जी का नाम ही दर्ज हो गया जबकि हिस्सा व कब्जा मोतीलाल जी के साथ–साथ भैरूलाल जी व उनके परिवार वालों का भी संयुक्त रूप से अब तक चला आ रहा है। इस कारण से घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री द्वारा उक्त वर्णित आराजियात सं. 4647 व 9547/4648 किता 2 रकबा 10 बीघा भूमि में मोतीलाल जी के 1/2 हिस्से में जो कि अब विपक्षी सं. 1 लादूलाल जी के नाम पर दर्ज हो गया है उस 1/2 हिस्से की भूमि में विपक्षी सं. 1 के साथ–साथ हम प्रार्थीगण का भी बराबर हिस्से से नाम दर्ज कराया जाना आवश्यक है अर्थात् उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा उक्त वर्णित बंशीलाल जी ब्राह्मण वगैरह का है। उसे बदस्तूर कायम रखाया जाकर मोतीलाल जी वाले 1/2 हिस्से में विपक्षी सं. 1 लादूलाल जी का 1/4 हिस्सा व हम प्रार्थीगण का भी संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा बतौर खातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज कराये जाने की घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री हम प्रार्थीगण के पक्ष में पारित करायी जावे ताकि भविष्य में हम प्रार्थीगण के हितों व कब्जे पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सके ।

25/3/26

सहायक कलक्टर,
भीलवाड़ा

S.No.	Case No	Case No	Date	Date			Status	Name

उक्त वर्णित आराजियात सं. 4647 व 9547/4648 किता 2 कुल रकबा 10 बीघा भूमि में मोतीलाल जी के उक्त 1/2 हिस्से की भूमि में से आधे हिस्से पर हम प्रार्थीगण का कब्जा आज पर्यन्त निरंतर चला आ रहा है किन्तु वर्तमान में उक्त 1/2 हिस्सा अकेले विपक्षी सं. 1 लादूलाल के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से वह इसका नाजायज लाभ उठाकर इस भूमि में हमारे कब्जेकाश्त में दखलंदाजी कर हम प्रार्थीगण को इस भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है और इस भूमि को खुर्द–बुर्द अन्तरित व भारित करने पर आमादा है जिससे विपक्षी सं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वह उक्त वर्णित आराजियात सं. 4647 व 9547/4648 कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा वाके ग्राम पुर तहसील–भीलवाड़ा में उसके नाम पर दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि में से आधे हिस्से की भूमि पर से प्रार्थीगण को न तो बेदखल करे और न ही इस भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द अन्तरित व भारित करे और इस भूमि में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में कोई भी दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे ।

प्रार्थीगण ने उक्त अनवान व तथ्यों का एक वादपत्र न्यायालय आप में पेश कर दिया है जो ठोस कानूनी तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य डिक्री होगा। वादपत्र में वर्णित तथ्य इस प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है।

अगर ताफैसला वाद विपक्षी सं. 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वह उक्त वादग्रस्त आराजियात को खुर्द–बुर्द व अंतरित कर देगा एवं प्रार्थीगण को उक्त आराजियात से बेदखल कर देगा व प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप करेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी एवं प्रार्थीगण का यह वाद पेश करना ही व्यर्थ हो जायेगा और पक्षकारान् के मध्य अनेक प्रकार की मुकदमेंबाजी बढ़ जायेगी ।

अतः प्रार्थना है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षी सं. 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वह ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजियात सं. 4647 व 9547/4648 कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा भूमि में उसके नाम पर दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि में से आधे हिस्से की भूमि पर से प्रार्थीगण को न तो बेदखल करे और न ही इस भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द अन्तरित व भारित करे और इस भूमि में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में कोई भी दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे ।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 19.03.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 7 पेश किया गया जिसे दिनांक 22.11.2024 को स्वीकार किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विचाराधीन पत्रावली में जवाब पेश नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब दिनांक 24.04.2025 को बंद किया गया।

अप्रार्थी संख्या 02 के सम्मन दिनांक 06.06.2025 को बाद तामिल प्राप्त हुए। पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने हेतु निम्नाकिंत तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पुर की वादग्रस्त आराजी संख्या 4647, 9547/4648 कुल किता 02 व कुल रकबा 10 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों की होने से प्रार्थीगण की पैतृक कृषि आराजियात है। धूलीराम जी के दो पुत्रों में से मोतीलाल जी बड़े होने से उक्त वादग्रस्त भूमि के आधे हिस्से में केवल मोतीलाल जी का नाम ही दर्ज हो गया व छोटे भाई भैरूलाल जी का नाम इस भूमि में दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि उस समय की तत्कालीन परम्परा के अनुसार पिता की मृत्यु होने के बाद बड़े पुत्र का नाम ही दर्ज कर दिया गया। इस कारण वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता व ससूर श्री भैरूलाल जी का नाम दर्ज नहीं हो सका, किन्तु मोतीलाल जी वाले 1/2 हिस्से की भूमि में आधे हिस्से पर भैरूलाल जी के जीवनकाल में उनका व उसके देहान्त के बाद प्रार्थीगण का कब्जा आज पर्यन्त निरंतर चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 के पिता मोतीलाल द्वारा वर्ष 2019 में 500 रूपये के स्टाम्प पत्र पर वादग्रस्त भूमि में 1/2 हक हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वज भैरूलाल को दिये जाने की सहमति दी थी। उक्त स्टाम्प पत्र विपक्षी संख्या 1 द्वारा स्टाम्प पत्र के गवाह से लिया जाकर नष्ट कर दिया गया है, जिससे उसे न्यायालय में पेश किया जाना संभव नहीं है। विपक्षी संख्या 1 के पूर्वज मोतीलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि में 1/2 वा हक हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वज का स्वीकार किये जाने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी प्रमाणित होता है।

2/3/26
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

1 2026/9	Jul-26	13/01/2026		212	प्रार्थना पत्र	नोटिस	देऊ उर्फ दल्लू	देवीलाल	दर
				53	वाद	नोटिस	भोजा	देवीलाल	ला

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि धूलीराम जी से जरिये विरासत मोतीलाल को प्राप्त होना अंकित किया है, वहीं अपने प्रार्थना पत्र की पद संख्या 5 में मोतीलाल व भैरूलाल के शामिल शरिक से रहने और वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की आय से क्रय किये जाने का अंकन किया गया है। उक्त दोनों तथ्य विरोधाभाषी है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में अंकित 500 रूपये का स्टाम्प पत्र वाद के साथ पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है, जो सम्वत् 2032 के पूर्व से ही विपक्षी संख्या 1 व उसके पूर्वज के नाम चली आ रही है। जिसके खण्डन का कोई साक्ष्य सबूत विपक्षी संख्या 1 द्वारा पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित करने में असफल रहे है।

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि धूलीराम से जरिये विरासत मोतीलाल को प्राप्त हुए अथवा मोतीलाल व भैरूलाल के शामिल शरिक रहने एवं संयुक्त परिवार की आय से वादग्रस्त संपत्ति क्रय किये जाने के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

सुविधा का संतुलन :—

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका कोई खण्डन विपक्षी संख्या 1 द्वारा नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहता है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 के पूर्वजों की भूमि होने से प्रार्थीगण का उसमें जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि जरिये आवंटन मोतीलाल पिता धुलीराम से प्राप्त हुई थी जो उसकी स्वअर्जित जायदाद है और विपक्षी संख्या 1 के पूर्वज मोतीलाल की स्वअर्जित जायदाद होने से प्रार्थीगण को उसमें कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का विपक्षी द्वारा पहले कोई खण्डन नहीं किया गया है, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में समग्र दस्तावेजात पेश नहीं किये गये है, जिससे प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का मण्डन करने में सफल नहीं हो पाया है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

अपूरणीय क्षतिः—

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी संख्या 4647, 9547 / 4648 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बीघा भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि आराजियात है तथा करीब 80 वर्षों से अधिक समय से उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज व प्रार्थीगण का चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात विपक्षी संख्या 01 के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से विपक्षी संख्या 01 इसका नाजायज लाभ उठाकर वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी कर प्रार्थीगण को इस भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है और वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द, अन्तरित व भारित करने पर आमादा है। अगर विपक्षी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द, अन्तरित व भारित कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई अर्थ से किया जाना कतई संभव नहीं होगा। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी प्रमाणित होता है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि सम्वत् 2032 से निरन्तर विपक्षी संख्या 1 व उसके पूर्वाधिकारियों के नाम दर्ज चली आ रही है। विपक्षी संख्या 1 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार है जिसे अपने हक हिस्से के अंतरण करने से रोके जाने की कोई विधिक एवं न्यायिक मंशा नहीं है। अतः यदि प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि के उपयोग–उपभोग, अंतरण किये जाने से रोकने का आदेश प्रदान किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति होगी और उसकी भरपाई अर्थ से किया जाना संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहे है।

25/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व उसके पूर्वज मोतीलाल पुत्र धुलीराम ग्राम पुर की सम्वत् 2032 की राजस्व जमाबन्दी के अनुसार खातेदार दर्ज रिकॉर्ड थे और निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज चले आ रहे है। अतः विपक्षी संख्या 1 को उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग एवं अंतरण किये जाने से रोका जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहे है।

उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपने पक्ष में ग्राम पुर की आराजी नम्बर 4647, 9547 / 4648 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बीघा भूमि के संबंध में तीनों बिन्दुओं प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को प्रथमदृष्टया साबित करने में असफल रहे हैं। अतएव

–:आदेश:–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

25/3/26

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा